

05/06/18 मन्नाबली आज प्रकाश को विद्वा किसे जाने देत जीमे मिलल तलबी निमत तारीख पेशी से पूर्व तलब की गई। वकील प्रामाणिक ने पूर्व में पेशशुदा राजीबजा के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 CPC को विद्वा किसे जाने जा निर्दिष्ट किया। प्रामाणिक प्रकाश को आगे नहीं चला सकते हैं तथा न्यायालय से कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः निर्दिष्ट स्वीकार कर प्रार्थना पत्र विद्वा की अनुमति प्राप्त कोर्ट। प्रामाणिक जा निर्दिष्ट स्वीकार किया जात प्रार्थना पत्र विद्वा की अनुमति प्राप्त की जाती है। प्रकाश में आगे कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। कार्यवाही प्रकाश ही हल पर Drop किया जावे। पन्नाबली फैसल शुमार होकर नम्बर 3 कम हो तथा काय तलमील फाजिल दफ्तर हो नियम 13 के न्यायालय में सुनवाया गया।



05/06/18
 प्रामाणिक साहू
 (RAS)
 जिला न्यायालय
 फासल नम्बर 3